फर्द अहकाम

जगदीश बनाम नाथी व०

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

संख्या 97/2019 धारा - 88, 89, 188 RTA

| | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 4/5/26 | पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0 वकील, प्रार्थना पत्र 151 CPC पर बहस की। उभयपक्ष ने बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ बाबत दिनांक 11/5/2026 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर<br>शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. | |
| 5/26 | पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली बहस उभयपक्ष की पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रार्थना पत्र 151 CPC न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दाखिल दाखिल दफ्तर हो एवं दर्ज नंबर से कम हो।<br>सहायक कलक्टर<br>शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. | |

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट –ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदड़, आर. ए. एस.
वाद संख्या :– 177 / 2014 पुराना, नया 97 / 2019

शीर्षक

1. जगदीश प्रसाद असवाल
2. बंशीधर असवाल
3. रमेश कुमार असवाल
4. सुरेश कुमार

   पुत्रान श्री राम प्रताप

5. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी स्व0 कल्याण सहाय
6. राकेश असवाल
7. डॉ0 प्रवीण असवाल
8. मित्रपाल असवाल

   पुत्रान कल्याण सहाय, समस्त जाति खटीक, निवासी मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. नाथी देवी पत्नी नानगराम
2. पूरण मल
3. सुरेश
4. मामराज
5. गोकूल

   पिसरान नानगराम

6. नागड़मल पुत्र जमनिया (मृतक दौराने वाद)

   6/1 नन्दकिशोर पुत्र नागड़मल

   6/2 बिरदीचन्द पुत्र नागड़मल

   समस्त जाति गुर्जर निवासी मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

7. उपपंजीयक तहसील शाहपुरा, जिला जयपुरद्य।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज0।
9. विमला
10. कमली

सहायक कलक्टर

पुत्रियां नानगराम जाति गुर्जर निवासी मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

1. नायब तहसीलदार तहसील मनोहरपुर, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

द बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज एवं घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 92 अ आरटीए

## निर्णय

दिनांक :– 11/5/2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 935/3 रकबा बीधा 1 बिस्वा मय दिगर आराजीयात के वाकै ग्राम मनोहरपुर तह० विराटनगर स्थित हा है जिसके 1/3 भाग की खातेदारी जमनीया पुत्र गंगाबक्स कौम गुर्जर के नाम ही है शेष 2/3 भाग के खातेदार दीगर व्यक्ति रहे है उक्त 2/3 भाग की खातेदारी की बाबत प्रस्तुत मामले मे कोई विवाद नहीं है विराटनगर से पृथक तहसील शाहपुरा कायम होने पर उक्त भूमि तहसील शाहपुरा (जयपुर) के अन्तर्गत आती है। यहकि आराजी वर्णित खण्ड संख्या 1 की भूमि के हिस्से 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार जमनिया पुत्र गंगा बक्स जाति गुर्जर निवासी मनोहरपुर ने अपने उक्त हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01/03/76 को राशि 500 रुपये अंकेही पांच सौ रूपये में वादीगण के पूर्वज रामप्रताप पुत्र छाजूराम जाति खटीक निवासी मनोहरपुर को विक्रय कर कब्जा सम्भलाया है उक्त भूमि पर वादीगण का पूर्वज उपरोक्त रामप्रताप खटीक बरोज कय करने भूमि अपने जीवन काल मे काबिज रहकर उपयोग तथा उपभोग करता चला आया है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वंशज वादीगण काबिज रहकर उपयोग तथा उपभोग करते चले आ रहे है। यहकि आराजी वर्णित खण्ड संख्या 1 वाद पत्र को प्रतिवादीगण के पूर्वज जमनिया पुत्र गंगाबक्स जाति गुजर निवासी मनोहरपुर द्वारा वाद पत्र की खण्ड संख्या 2 में वर्णित प्रकार से वादीगण के पूर्वज रामप्रताप खटीक को विक्रय कर देने के पश्चात उक्त भूमि से विक्रेता जमनिया गुजर अथवा उसके वंशज प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं रहा है और ना ही उनका उक्त भूमि पर कोई कब्जा अथवा अधिकार ही रहा है। हाल भू–प्रबन्ध की कार्यवाही साबिक खसरा नम्बर 935/3 के वर्तमान हाल खसरा नम्बर 1525 व 1526 वाकै ग्राम मनोहरपुर तहसील विराटनगर कायम किये गये है। यहकि वादीगण के पूर्वज रामप्रताप खटीक आराजी मुतनाजा क्रय करने के बाद उसका नामान्तकरण अपने नाम खुलवाने बाबत तत्समय कोई कार्यवाही नही की तथा कुछ समय पश्चात उक्त रामप्रताप खटीक की मृत्यु हो गयी तथा वादीगण ने भी अपने पूर्वज रामप्रताप की मृत्यु हो जाने के बाद जरिये नामान्तकरण आराजी मुतनाजा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने

कलक्टर

विकय पत्र को ही खातेदारी हो जाना मानते हुये मूल वक्त कोई कार्यवाही नहीं
गयी। वादीगण की तरफ से सन 2012 में तहसीलदार शाहपुरा के यहां इस बाबत
वाही किये जाने पर उन्होने पटवारी हल्का से इस बाबत रिपोर्ट मांगी थी जिस पर
वारी हल्का ने अपनी खुलासा रिपोर्ट दिनांक 25/4/012 तहसीलदार शाहपुरा के
दिनांक 30/4/2012 को प्रस्तुत की थी जिसमे पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर
5/0.22, 1526/0.13 कुल किता 2 रकबा 0.35 है० रामप्रताप पुत्र छातूराम जाति
ौक सा. देह मनोहरपुर हिस्सा 26/105 नागडराम पुत्र जमनिया हि० 1/2 नामी
ी नानगराम, पूरणमल, सुरेश मामराज, गोकूल, पिसरान नानगराम विमला, कमला
ख्रयान नानगराम हि. 1/2 दर हिस्सा 9/105 कौम गुजर आदेश हो तो दर्ज किया
ना उचित है का उल्लेख किया था। यहकि मगर तहसीलदार शाहपुरा (जयपुर) ने
ट्वारी हल्का मनोहरपुर की रिपोर्ट दिनांक 25/4/2012 के अनुसार नामान्तकरण
ोले जाने की आज्ञा देने के बजाय उन्होने अपने पत्र कमाक भू.अ/2012/2657
दिनांक 09/07/2012 को वादी संख्या 1 को सूचना दी कि साबिक खसरा नम्बर
35/3 से हाल खसरा नम्बर 1525/0.22, 1526 कुल किता 2 रकबा 0.35 है० बने है
विक्रेता जमनिया की मृत्यु होने पर हाल रिकार्ड मे विक्रेता जमनिया का हिस्सा उनके
वारिसान के नाम दर्ज है ऐसी स्थिति में नामान्तकरण दर्ज किया जाना सम्भव नहीं है
अतः आप मान्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त
करे। इस प्रकार आराजी मूतनाजा हाल खसरा नम्बर 1525 रकबा 0. 22 है0 1526
रकबा 0.13 है० किवा 2 रकबा 0.35 है० हिस्सा 26/105 वाकै ग्राम मनोहरपुर तह०
शाहपुरा के वादीगण हकदार एवं अधिकारी है तथा तदनुसार अपने नाम खातेदारी
दुरूस्त कराने के भी अधिकारी है। वादीगण ने उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज कराने हेतु
प्रतिवादीगण को तहसीलदार शाहपुरा की सूचना प्राप्त होने के बाद कई बार निवेदन
किया मगर वे आजकल करते रहे तथा अब अर्सा 1 सप्ताह पूर्व खातेदारी दर्ज कराने
से इंकार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को एलानिया धमकी दी कि हम
खातेदारी दुरूस्त नहीं करायेगे तथा मौका पडते ही आपके हिस्से को जिसकी खातेदारी
हमारे नाम है, उसे दिगर व्यक्ति को अन्तरित करेगे तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से का शान्ति
पूर्वक उपयोग तथा उपभोग नहीं करने देगे इस कारण प्रस्तुत वाद दायर करना
आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि डिकरी दुरूस्ती इन्द्राज एवं धोषणा खातेदारी बहक
वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की प्रदान की जावे कि आराजी खसरा
नम्बर 1525 रकबा 0.22 है0 1526 रकबा 0.13 है० कुल किता 2 रकबा 0.35 है० वाकै
मनोहरपुर के हिस्से 26/105 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित
फरमाया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराया जावे एवं डिकरी

सहायक कलक्टर

ाजी निषेधाज्ञा बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की प्रदान की जावे कि
तेवादीगण को सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे हाल आराजी खसरा नम्बर
525 रकबा 0.22 है0, 1526 रकबा 0.13 है कुल किता 2 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम
नोहरपुर के हिस्से 26/105 भाग पर वादीगण के अधिकार एवं कब्जे तथा उपयोग
पभोग मे किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना करे ना अन्य से करावे तथा उसे
न्य को किसी प्रकार से अन्तरण ना करे एव करावे ना ही इस बाबत कोई डीड
जीबद्ध करावे एवं करे वादीगण को उक्त भूमि (सम्पति) का शान्ति पूर्वक अपनी इच्छा
अनुसार उपयोग तथा उपभोग करने देवे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को विधीवत नोटिस जारी किये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी पेश किया गया। नकल दिलाई गई। वकील प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया। वकील उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन कियास गया। अवलोकन उपरांत प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी न्यायहित में 200 रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया गया एवं प्रार्थीगण को प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 पक्षकार मुकदमा बनाया गया। विस्तृत आदेश संलग्न पत्रावली है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 का कायम मुकाम आवेदन प्राप्त हुआ, जिसे बाद सुनवाई प्रकरण के उचित निस्तारण हेतु न्यायहित में स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादी ने प्रकरण में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया, जिसका जवाब वकील प्रतिवादी ने पेश किया।

वकील वादी ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वाद पत्र की खण्ड संख्या 2 में वर्णित अनुसार साबिक खसरा नंबर 935/3 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम मनोहरपुर को उक्त भूमि के हिस्से 1/3 भाग के खातेदार जमनिया पुत्र गंगाबक्स जाति गूजर निवासी मनोहरपुर से अपने पूर्वज रामप्रताप पुत्र छाजूराम जाति खटीक निवासी मनोहरपुर द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.03.1976 को राशि 500 रूपये मे क्रय कर कब्जा प्राप्त करने तथा काबिज चले आने तथा वर्तमान में वादीगण के काबिज होने के उल्लेख के साथ पेश किया है इस प्रकार राज0टी0एक्ट के प्रावधानों का अवलोकन किया जावे तो खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि के अन्तरण संबंधी प्रावधान है तथा क्रेता एवं उनके वंशज कानूनन रूप से अन्तरित भूमी कि खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी होते है यद्यपि प्रतिवादीगण ने अपनी जवाब देही में उपरोक्त

सहायक कलक्टर

से इंकार करते हुए मजीद बयान की खण्ड संख्या 16 में उक्त विक्रय पत्र की
मुगालते में रखकर निशान अंगूठा कर लेने का उल्लेख किया है मगर जमीनया
पने जीवनकाल में वाद पत्र की खण्ड संख्या 2 में वर्णित विक्रय पत्र को चुनौती
दी है तथा ना ही वर्तमान प्रतिवादीगण ने ही उक्त विक्रय पत्र को चुनौती है।
। विक्रय पत्र को पंजीयन हुए लगभग 50 वर्ष की अवधी व्यतीत हो चली है। साक्ष्य
नियम के प्रावधानों के अनुसार 30 वर्ष पुराने दस्तावेज की बाबत संबंधित व्यक्ति
उनके वंशजों के हक में अवधारणा लिया जाना भी कानूनन अपेक्षित होता है।
ादी ने प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा व अधिकार होना सरासर गलत एवं
जायज रूप से अंकित किया है यदि उनके उपरोक्त कथन में तनिक भी सार होता
प्रतिवादीगण अपने कथन कि पुष्टि में वादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की
बत काउण्टर क्लेम की डिक्री हेतु आवेदन निवेदन करते मगर ऐसा भी प्रतिवादीगण
नहीं किया है, जिससे भी वादीगण के वाद की पुष्टि होती है। यह है कि जहां तक
ादीगण द्वारा दायर वाद की बाबत् प्रतिवादीगण के जवाब दावे में उठायी गई आपत्ति
मेयाद बिन्दू व शेष खातेदारान् के आवश्यक पक्षकार होने के बिन्दू पर विचार किया
जावे तो आर0टी0एक्ट0 की अनुसूचि 3 के अनुसार घोषणा खातेदारी हेतु वाद दायर
करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है तथा स्थायी निषेधाज्ञा का कॉज ऑफ
एक्शन की श्रेणी में आने से प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं है। आवश्यक पक्षकार
के बिन्दू पर विचार करें तो वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध हिस्से 1/3 भाग के
रकबे 1 बीघा 1 बिस्वा यानि 0.2600 है0 की बाबत् ही अनुतोष चाहा है तथा शेष का
हिसाब कतई प्रभावित नहीं होता है। इस कारण शेष खातेदार कतई आवश्यक पक्षकार
की श्रेणी में नहीं आते है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र के
तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाने के आदेश प्रदान
करें। साथ ही वकील वादी ने सीपीसी का अवलोकन कराते हुए कथन किया आदेश
12 नियम 6 सीपीसी में यह प्रावधान तय किया गया है कि " जहां अभिवचन में यहां
अन्यथा, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में तथ्य की स्वीकृतियां की जा चुकी है
वहां न्यायालय वाद के किसी प्रक्रम में या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या
स्वप्रेरणा से और पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रश्न के अवधारण की प्रतिक्षा किए बिना
ऐसी स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय कर सकेगा जो यह
ठीक समझे।" एवं प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वकील वादी/प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त
AIR 2000 SUPREME COURT 2740, 200 AIR SCW 2924, 200(3) BLJR
2036, 2000(8) SRJ 287, (2000) 9 JT 78 (SC) पेश किये एवं दस्तावेजात पेश
किये।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वकील प्रतिवादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को जाहिर करते अपनी बहस मे कथन किया कि प्रश्नगत आराजीयात को वादीगण के पूर्वज रसाद को विक्रय नही की है और न ही उक्त रामपरसाद को कब्जा सम्भलाया है। वादीगण आज तक लगातार बिना किसी बाधा के उक्त प्रश्नगत आराजीयात पर बेज रहकर काश्त करते आ रहे है। जब खातेदार जमनिया द्वारा उक्त भूमि विक्रय नही की तो उस द्वारा व वर्तमान मे प्रतिवादीगण द्वारा चुनौती दिया जाना आवश्यक । है। प्रतिवादीगण अपने पूर्वज जमनीया के जीवनकाल से काबिज रहकर काश्त रते आ रहे है। वादीगण द्वारा गलत रूप से प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि हड़प रने की नियत से प्रस्त वाद दायर किया है जो खारिज योग्य है। वादीगण किसी कार की अवधारणा कराने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के कॉर्डेड खातेदार काश्तकार है व काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण रा वादोत्तर मे उठायी गयी आमाते का बाद साक्ष्य पक्षकारान न्याय निर्णय होना है। इसलिए वादीगण का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है व संबंधित कानूनी प्रावधानों की पूर्ति नही करने से खारिज योग्य है। वादीगण द्वारा प्रकरण मे अनावश्यक विलम्ब कारित करने की नियत से प्रस्तुत प्रार्थना–पेश किया है. जो खारिज योग्य है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे प्रस्तुत विक्रय पत्र के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाद पत्र खण्ड संख्या 1 मे वर्णित भूमि के हिस्से 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार जमनिया पुत्र गंगाबक्स जाति गुर्जर निवासी मनोहरपुर ने अपने उक्त हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01/03/76 को राशि 500 रुपये अंकेही पांच सौ रूपये में वादीगण के पूर्वज रामप्रताप पुत्र छाजूराम जाति खटीक निवासी मनोहरपुर को विक्रय किया गया है। साबिक आराजी खसरा नंबर 935/3 के वर्तमान हाल खसरा नंबर 1525/0.22 है0 एवं 1526/0.13 है0 कायम किये गये। प्रश्नगत भूमि वादीगण के पूर्वज रामप्रताप खटीक को विक्रय किये जाने के पश्चात् विक्रेता जमनियां गुजर की मृत्यु होने से विक्रेता जमनियां का हिस्सा उनके वारिसान के नाम दर्ज कर दिया गया। चूंकि वादीगण के पूर्वज द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के संबंध में नामान्तरण की कार्यवाही का निष्पादन नही किया गया । अब वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर है कि जमनियां पुत्र गंगाबक्स ने आराजी खसरा नंबर 935/3 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाकै ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि के अपने 1/3 हिस्से को वादीगण के पूर्वज रामप्रताप पुत्र छाजूराम जाति खटीक को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिफल राशि 500 रूपये

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

। कर बेयान किया गया है। वकील वादी ने अपनी बहस में मुख्य बिन्दू यह उठाया कि प्रतिवादीगण के पूर्वज एवं प्रतिवादीगण को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की तिभाति जानकारी रही है एवं उक्त पंजीकृत पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिनांक तक नहीं दी है। वकील वादी की बहस से एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं ायिक दृष्टान्त प्रकरण में चस्पा होने से न्यायालय सहमत है। अतः वकील वादी रा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता एवं वादीगण का डिक्री किया जाना उचित समझते है।

## आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात , ापथ–पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं हाल खसरा नंबर 1525 रकबा 0.22 है0, 1526 रकबा 0.13 है0 किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 वाकै ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का हिस्सा 26 / 105 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग, काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें तथा कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करें इस आशय की डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/5/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला–जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र - 6

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट –ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 177 / 2014 पुराना, नया 97 / 2019

शीर्षक

1. जगदीश प्रसाद असवाल
2. बंशीधर असवाल
3. रमेश कुमार असवाल
4. सुरेश कुमार

   पुत्रान श्री राम प्रताप
5. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी स्व0 कल्याण सहाय
6. राकेश असवाल
7. डॉ0 प्रवीण असवाल
8. मित्रपाल असवाल

   पुत्रान कल्याण सहाय, समस्त जाति खटीक, निवासी मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. नाथी देवी पत्नी नानगराम
2. पूरण मल
3. सुरेश
4. मामराज
5. गोकूल

   पिसरान नानगराम
6. नागड़मल पुत्र जमनिया (मृतक दौराने वाद)

   6/1 नन्दकिशोर पुत्र नागड़मल

   6/2 बिरदीचन्द पुत्र नागड़मल

   समस्त जाति गुर्जर निवासी मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
7. उपपंजीयक तहसील शाहपुरा, जिला जयपुरद्य।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज0।
9. विमला
10. कमली

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

पुत्रियां नानगराम जाति गुर्जर निवासी मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

1. नायब तहसीलदार तहसील मनोहरपुर, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

: बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज एवं घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 92 अ आरटीए

निर्णय दिनांक :– 11/5/2026

अतः उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, पथ–पत्र, रजिस्टर्ड विकय–पत्र के आधार पर वादीगण का वाद डिकी किया जाता है वं हाल खसरा नंबर 1525 रकबा 0.22 है0, 1526 रकबा 0.13 है0 किता 2 कुल रकबा .35 है0 वाकै ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का हिस्सा 26/105 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग, काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें तथा कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय व डिक्री आज तारीख 11/5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला–जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प<br>4. .......... रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.